

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272170
SG-DL-E-29042026-272170असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| सं. 114] | दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 25 |
| No. 114] | DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948 | [N. C. T. D. No. 25 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

फा. सं. 25(2)/89- स्वा0 एवं परि0 कल्या0/खण्ड II/पार्ट फाइल-1/RPSHF/47.— दिल्ली होम्योपैथिक (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) के साथ पठित दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 (1956 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए तत्काल प्रभाव से दिल्ली होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड की स्थापना करते हैं:—

| क्र. सं. | नाम एवं पता | धारा एवं खण्ड |
|----------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | डॉ० मेघा शर्मा, जे एवं के- 150, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार। |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | डॉ० रावप्रीत सिंह, 1548/बी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070 | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार। |
| 3 | डॉ० विशाल चड्ढा, फ्लैट नंबर 404, सी 6 एवं 7, तृतीय तल, आईआईडीएल भवन, रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार। |
| 4 | डॉ० कीर्ति वर्धन साहनी, बी-25, बिजली अपार्टमेंट, जी०टी० करनाल रोड, गुजरावाला टाउन पार्ट-2, दिल्ली | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार। |
| 5 | प्रधानाचार्य नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसार पदेन सदस्य। |
| 6 | उप-निदेशक (होम्योपैथी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार पदेन सदस्य। |
| 7 | डॉ० अनिल गोयल एचएमएलए, एसी-60 (कृष्णा नगर) | उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अनुसार पदेन सदस्य। |

सभी सदस्यों का कार्यकाल सदस्य के रूप में चुनाव या नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

डॉ० अनिल गोयल, एचएमएलए, एसी-60, (कृष्णा नगर) को एतद् द्वारा दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 (1956 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) की धारा 4 के अनुसार दिल्ली होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नीरज गुप्ता, उप-सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th April, 2026

F. No. 25(2)/89-H&FW/Vol.II/ Pt File-1/RPSHFW/47.— In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 3 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Delhi Act No 11 of 1956) read with the Delhi Homoeopathic (Amendment) Act 1996 (Delhi Act no 11 of 1996), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to establish the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi, with following members, with immediate effect:-

| S. No. | Name & Address | Section & Clause |
|--------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dr. Megha Sharma, J&K- 150, Laxmi Nagar, Delhi-110092. | As per clause (a) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |
| 2 | Dr. Ravpreet Singh, 1548/B-1, Vasant Kunj, New Delhi -110070 | As per clause (a) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |
| 3 | Dr. Vishal Chadha, Flat No.404, C6&7, IIIrd Floor, IIDL Building, Ramprastha Colony, Ghaziabad | As per clause (b) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |
| 4 | Dr. Kirti Vardhan Sahni, B-25, Bijli Apartment, G.T. Karnal Road, Gujrawala Town Part-2, Delhi | As per clause (b) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |
| 5 | Principal of Nehru Homoeopathic Medical College & Hospital | Ex-officio member as per clause (c) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Deputy Director (Homoeopathy), GNCTD | Ex-officio member as per clause (d) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |
| 7 | Dr. Anil Goyal, HMLA, AC-60 (Krishna Nagar) | Ex-officio member as per clause (e) of Sub section (2) of section 3 of the said Act |

The terms of all members shall be for a period of Three years from the date of election or nomination as a member.

Dr. Anil Goyal, HMLA, AC-60, (Krishna Nagar) is hereby nominated as the Chairman of the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi as per section 4 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Delhi Act No. 11 of 1956).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ GUPTA, Dy. Secy.